— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर

संख्याः-26/2020 दिनांकः- 23.07.2020

फरार 15 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का गैग लीडर थाना को0 कटरा पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 02 अदद कारतूस सहित गिरफ्तार

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फरार 15 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह गैग का लीडर गैगस्टर शेरू कुरैशी उम्र-22 वर्ष थाना को0 कटरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। शेरु कुरैशी पुत्र गभडू कुरैशी निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का लीडर है,इस गिरोह के सदस्य- मो0 सलीम पुत्र बब्बु निवासी बरौध थाना हण्डिया प्रयागराज द्वारा वध हेतु गोवंशों की तस्करी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है, इसी तस्करी के क्रम में उपरोक्त गैग द्वारा दिनांक 02.01.2020 को गोवंशों को वध हेतु ले जाते समय थाना कोतवाली कटरा पुलिस एक ट्रक वाहन से कुल 20 राशि गोवंश बरामद किये गये थे, इस संबंध में थाना को0 कटरा पर मु0अ0स0-02/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोप प्रमाणित होने पर गैग लीडर व उसके सदस्यों के विरुद्ध थाना को0 कटरा पर गैगस्टर एक्ट (मु0अ0स0-138/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, वांछित अभियुक्त शेरू कुरैशी व मो0 सलीम फरार चल रहे थे,जिस कारण पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अभियुक्त शेरू कुरैशी की गिरफ्तारी हेतु रुपये 15 हजार का ईनाम घोषित किया गया था,उसी क्रम में बड़ी कार्यवाही करते प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश यादव थाना पड़री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उक्त 15 हजार का ईनामिया फरार गैग लीडर अपराधी शेरु कुरैशी पुत्र गभडू कुरैशी निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को दिनांक 23.07.2020 को समय 15.00 बजे के पथरहिया सेफ्टन मिले के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार कर,उक्त बरामदगी के संबंध में थाना को0 कटरा पर मु0अ0स0-153/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शेरु कुरैशी पुत्र गभडू कुरैशी निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर उम्र 22 वर्ष

बरामदगी -

01अदद तमंचा 315 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 23.07.2020 समय 15.00 बजे, पथरहिया सेफ्टन मिले के पास थाना को0 कटरा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 138/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।
2-मु0अ0सं0 05/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना को0 कटरा मीरजापुर।
3-मु0अ0सं0 153/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
2-उ0नि0 मो0 शाहिद खाँ चौकी प्रभारी नटवाँ थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
3-उ0नि0 जितेन्द्र कुमार यादव थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
4-का0 लल्लन सिंह यादव थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।

5-का0आशीष सिंह थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
6-का0 उमेश कुमार यादव थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।
7-चालक का0 शशिधर राय थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।